

## छत्तीसगढ़ बजट 2023-24

### चर्चा में क्यों?

6 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिये वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह बजट मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित 'छत्तीसगढ़ मॉडल' में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दशा में मज़बूत कदम साबित होगा।

### प्रमुख बट्टि

#### ■ वर्ष 2023-24 के बजट की आर्थिक स्थिति:-

- स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।
- वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित है।
- प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4 लाख 57 हजार 608 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2021-22 में प्रतिव्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रतिव्यक्ति आय 1,33,898 रुपए, जो कर्तव्य वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।

#### ■ बजट के मुख्य आकर्षण-

- 'धान का कटोरा' के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को 'धान का कटोरा' बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिये 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मिज़दूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिये भी वसति।
- शक्ति बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की नवीन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नरिशर्तित, बुजुर्गों, दवियांगों एवं वधिया तथा परतियक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी।
- नगरीय क्षेत्रों में वभिन्न शहरी अधोसंरचना नरिमाण कार्यों के लिये 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मनैंद्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम ज़िले में नवीन चकितिसा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- कोरबा पश्चिम में नवीन ताप वदियुत गृह की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिये 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंगरेजी माध्यम के वदियालय खोलने के लिये 870 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कन्या वविाह योजना के लिये 38 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरु करने हेतु प्रावधान।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6 हजार 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रतिमाह। मनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह।
- मतानिन बहनों को पूरव से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतरितित राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय।
- ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूरव प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए, 3,375 रुपए को बढ़ाकर 4,500 रुपए, 4,050 को बढ़ाकर 5,500 रुपए एवं 4,500 रुपए को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह। ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि 1,500 रुपए को बढ़ाकर 1,800 रुपए प्रतिमाह। वदियालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपए से बढ़ाकर 2,800 रुपए प्रतिमाह।
- होमगारड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि।

- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समितिके अध्यक्ष को 750 रुपए एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए मासिक मानदेय ।
- पत्रकारों को नज्दी आवास नरिमाण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह नरिमाण ःण अनुदान योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के आवास ःण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख ।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-budget-2023-24>

